राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2405/2025

दिनेश कुमार बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिरीक्षक, (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2025

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पुलिस विभाग) के पद पर पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 17.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तित करते हुए पुलिय आयुक्तालय जयपुर से कार्यालय पुलिस अधीक्षक बीकानेर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2003 में हुई थी ओर वर्ष 2008 में अपीलार्थी को स्टेनो के पद पर पदोन्नत किया गया। तद्उपरान्त अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी

के पद पर पदोन्नत करते हुए आदेश दिनांक 21.12.2021 के द्वारा उसे पुलिस आयुक्त जयपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की संतोषजनक सेवाऐं रही है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 24.09.2023 को उसकी पत्नी के द्वारा विभाग में शिकायत दर्ज की गई कि अपीलार्थी शराब पीने का आदि है ओर व पत्नी एवं बच्चों को पिटता है। जिसके क्रम में अपीलार्थी के विरूद्ध जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा दिनांक 18.12.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस प्रकार विभाग द्वारा रिपोर्ट के द्वारा अपीलार्थी नशे का आदि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 20.09.2013 के अनुसार अपीलार्थी की पत्नी के खाते में हर माह के वेतन का 50 प्रतिशत राशि स्थानान्तरित किये जाने के आदेश जारी किये गये है। तद्उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध चार्जशीट जारी की गई ओर उसके पश्चात अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 17.03.2025 के द्वारा मुख्यालय परिवर्तित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पुत्री 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है। अपीलार्थी की पत्नी भी दिमाग की बीमारी से पीडित है ओर इस प्रकार उनको सहायता एवं देखभाल के लिये अपीलार्थी की आवश्यकता है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विसंभ परिस्थितियों के बावजूद अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तित किया गया है जो सेवा नियमों के विपरीत है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 17.03ण.2025 एवं आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को जयपुर मुख्यालय कार्यरत रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पुलिस विभाग) के पद पर पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 17.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तित करते हुए पुलिस आयुक्तालय जयपुर से कार्यालय पुलिस अधीक्षक बीकानेर किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 24.09.2023 को

उसकी पत्नी के द्वारा विभाग में शिकायत दर्ज की गई। दिनांक 18.12.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत अनुसार अपीलार्थी नशे का आदि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 20.096.2013 के अनुसार अपीलार्थी की पत्नी के खाते में हर माह के वेतन का 50 प्रतिशत राशि स्थानान्तरित किये जाने के आदेश जारी किये गये है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तित किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं मामले के वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)